Rashtriya Shoshit Parishad (Regd.) No.: S/13390

(Recognised by the Govt. of India & exempted U/S 80G of the Income Tax Act. 1961)

राष्ट्रीय शोषित परिषद् (रजि०)

(A Council for the Welfare of SC/ST)

President :
JAI BHAGWAN JATAV
Tel. : 26192066
Mob. : 9810634677, W : 9810634655

B-2 Extn./2,
St. No. 7, Krishna Nagar,
Safdarjung Enclave,
New Delhi-110029

Ref. ..... No. RSP/2018/PMO/ 5810

Dated 16th Feb' 2018.....

सेवा में,

श्री नरेन्द्र मोदी जी,
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, साऊथ ब्लॉक,
नई दिल्ली – 110 011

विषयः **देश से चुराये गये धन को विदेशों में भेजने वाले गद्दारों के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।**

मान्यवर

आज़ादी के बाद भारत वर्ष में कई केन्द्रीय सरकारें आई और गयी परन्तु, देश में भ्रष्ट्राचार घटने की बजाए, बढ़ता ही गया। ऐसा लगता है कि देश के पूंजीपतियों ने भारतवर्ष को कभी अपना देश समझा ही नहीं और देश के कुछ मौका–प्रस्त लोगों एवं **Black Marketers** ने देश के साथ जबदस्त विश्वासघात किया। सरकार को कभी भी ईमानदारी से टैक्स अदा ही नहीं किया जिसके कारण अधिकाँश पूंजीपतियों की पूँजी एवं काला धन बहुत ही बढ़ता गया। सरकार में रहे राजनेता, मंत्री व अन्य दलालों ने भी जी भरकर देश को लूटा और उसका अधिकांश धन–सम्पत्ति या तो देश के बाहर भेज दिया एवं चल–अचल सम्पति में अपने नाम से या अपने रिश्तेदारों या अन्य बेनामी लोगों के नामों से खरीदकर इक्ट्ठी कर ली। उसके बावजूद उनके पास अकूत पैसा एवं कालाधन इस्तेमाल करने से फिर भी बच गया तो गाहे–बगाहे चालाकी से या दलालों के माध्यम से या अन्य श्रोतों से धन विदेशों में भेज दिया गया है। जिसके कारण देश की आर्थिक स्थिति को बद से बदत्तर बना दिया है। अपुष्ट खबरें देश के अखबारों में छपती रही है कि देश का 80 लाख करोड़ से भी ज्यादा काला धन विदेशों के बैंकों इत्यादि में जमा है। जिन लोगों ने अवैध तरीके से काला धन विदेशों में जमा किया हुआ है या चल–अचल सम्पति में लगाया हुआ है, उन लोगों की पहचान करके सार्वजनिक करना सरकार के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि देश के साथ गद्दारी करने वालों और अमानत में ख्यानत के जिम्मेदार लोगों की पहचान करके उनके ऊपर देशद्रोह के अन्तर्गत क्रिमिनल केस **(Criminal Cases)** की एफआईआर दर्ज करके मुकदमा चलाना बहुत जरूरी हो जाता है। जो पहल अभी तक उच्चतम न्यायलय ने की है, वह अत्यंत ही सराहनीय है, परन्तु भारत सरकार आई–बाई–टाई करके उच्चतम न्यायलय को भी अंधेरे में रखकर देशवासियों को गुमराह करना चाहती है। जो भी कालाधन एवं चल–अचल सम्पति के रूप में देश के बाहर विदेशों में भेजा गया है वह धन देश की जनता का धन है और सरकार को जनता के धन को लूटाने या लूटवाने या देश के गद्दारों द्वारा हडप करने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है और न ही जनता के धन को ऋण के रूप में पूंजीपतियों को देकर उस धनराशि को या मूलधन एवं व्याज माफ करने का कोई नैतिक अधिकार ही नही है। देश की जो स्थिति देश के राजनेताओं, पूंजीपतियों एवं दलालों **(Black Marketers)** ने बना दी है उससे देश बहुत ही निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया है। मीडिया द्वारा पता चलता रहता है कि केवल विजय माल्या ही नहीं, लगभग 14 हजार लूटेरे, गद्दार पिछले कुछ दिनों में ही देश की धन–दौलत लूटकर देश छोड़कर विदेशों में बस गए हैं। देश

Regd. Office: 167, Palika Bazar, Connaught Place, New Delhi-110 001, Tel: 23323129, 23716831
E-mail: indiarsp@gmail.com, Website: www.scstparishad.org

का आम नागरिक उच्चतम न्यायालय की तरफ भी नज़र गडाए न्याय की उम्मीद लगाये हैं। कई बार तो उच्चतम न्यायालय भी सरकार के बेरूखेपन की बजह से भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। कुछ भी हो, काला धन रखने वालों की लगभग 900 व्यक्तियों के नामों की सूची भी बन्द लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को सौंपी जा चुकी है जिसको सार्वजनिक या उजागर करके दण्डित करना उच्चतम न्यायालय का भी पवित्र कर्तव्य बनता है। भारत सरकार एवं इससे सम्बन्धित राजनैतिज्ञों एवं संवैधानिक पदों पर आसीन उच्च अधिकारियों ने संविधान की शपथ ली है उसका अनादर करने का किसी को कोई हक नहीं है। वह सभी भी दण्ड़ात्मक कार्वाई के पात्र है।

जिन पूंजीपतियों, राजनैतिज्ञों, सरकारी अधिकारियों एवं दलालों के द्वारा अवैध तरीके से इक्ट्ठा किया गया काला धन जो कि विदेशों में भेज दिया गया है उसकी कुछ–कुछ जानकारी विक्कीलिक्स, पनामा या अन्य एजेंसियों या मीडिया के द्वारा जनता में आती रहती है जिनकी पुष्टी भी इस बात से हो जाती है कि जिनके नाम इन एजेंसियों ने खोले हैं, उन्होंने कभी भी इसमें होने से इंनकार नहीं किया, लेकिन सरकार चुप क्यों है? देश में छोटी–छोटी बातों पर शोर मचता रहता है परन्तु देश के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हो जाये और सरकार कुछ न कुछ बहाना बनाकर उनके नाम खोलने/बताने में भी आंना–कानी या परहेज करे एवं उच्चतम न्यायलय को भी बताने से कतराए तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की भी इनलोगों को बचाने के मामलों में मिली–भगत है और सरकार एवं राजनेताओं का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। देश का आम नागरिक उच्चतम न्यायलय की ओर भी टकटकी लगाए देख रहा है और उम्मीद करता है कि देश की जनता के साथ धोखाधड़ी एवं नाइंसाफी नहीं होगी। देश का वंचित वर्ग भी उम्मीद लगाये है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी संविधान की गरीमा को आंच नहीं आने देंगे एवं देश के साथ गद्दारी करने वालों पर देशद्रोह इत्यादि का मुकदमा दर्ज करा करके गद्दारी करने वाले व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा दिलायी जायेगी।

गत वर्षों में उच्च वर्गों के व्यक्तियों ने कई लाख करोड़ रूपया जो कि बैंको से कर्ज के रूप में भी लिया था वह भी डकार लिया, आज भी यही काम सरकार की देख रेख में चल रहा है। जिसका ताजा उदाहरण नीरव मोदी है। सरकार की मिलीभगत के चलते उनके कर्जो को भी माफ कर दिया। बैंकों में जो पैसा होता है वह **Direct or Indirect टैक्स के रूप में आम जनता का ही धन होता है।** सरकार को इस प्रकार के ऋण या ब्याज के रूप में दी गयी इतनी अधिक धनराशि को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि ऋण के रूप में देना और उसको वसूली न करना, यह जिम्मेदारी भारत सरकार एवं उनके सरकारी तंत्र की ही बनती है। **हमें उम्मीद है कि भारत सरकार एवं न्यायपालिका अपने अधिकारों का सख्ती के साथ प्रयोग करते हुए सख्त से सख्त कदम उठाये और ऐसे गद्दारों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराकरके सजा दिलाये।** यहीं न्याय का तकाजा है। याद रहे आप जनता से उगाहे गये टैक्स के कस्टोडियन हैं मालिक नहीं। बीड़ी पीने वाला व्यक्ति भी कुछ न कुछ धनराशि टैक्स के रूप में अदा करता है उससे प्राप्त धन को आप पूजीपतियों का कर्ज माफी या बैंको को आर्थिक मदद/सब्सिडीज नही दे सकते। यदि आप अपने अधिकारों का दुरूपयोग **(Misuse or Power)** इस्तेमाल करेंगे तो देश एवं देश की जनता आपको कभी मांफ नहीं करेगी।

धन्यवाद् सहित,

आपका

Bhagwan

(जय भगवान जाटव)

अध्यक्ष